संख्या-19/2017/865/क0नि0प्र/26-3-2017-7(90)/2007

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर,2017
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश (कम्प्यूटराइजेशन) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक-1469/लेखा/अनुभाग/2017-18 दिनांक 15-09-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-17/2017/ 702/क0नि0प्र0/26-3-2017-7(90)/2007 दिनांक 22 अगस्त,2017 जिसके द्वारा उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश (कम्प्यूटराइजेशन) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रू0 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है, के प्रस्तर-6 को अब निम्नानुसार पढ़ा जायः-

6- इस स्वीकृति पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय- व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश-30-निवेश/ऋण" के नामें डाला जायेगा।

...2...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त शासनादेश संख्या-17/2017/702/क0नि0प्र0/26-3-2017-7(90)/ 2007 दिनांक 22 अगस्त,2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश दिनांक 22 अगस्त,2017 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेगें।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2017/865(1)/क0नि0प्र0/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- निदेशक,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)अनु0 उ0प्र0 शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।